/365/2023

/365/2023

संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A11-131(4)/2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड देहरादून दिनांक जून, 2023

महोदय,

कृपया कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पत्र संख्याः 6667 दिनांक 19.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, रूड़की, हरिद्वार को एम0एससी0(आई0टी0), एम0कॉम0, एम0एससी0(माइक्रोबायोलॉजी) एवं एम0ए0(योग) पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, रूड़की, हरिद्वार।	एम0एससी0 (आई0टी0) एम0कॉम0 एम0एससी0 (माइक्रोबायोलॉजी) एम0ए0 (योग)	25 सीट 25 सीट 25 सीट 25 सीट	2022–23

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय संस्थान में यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रस्तर 3.4.7 में निहित व्यवस्थानुसार नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के 03 माह के भीतर फैकल्टी की नियुक्ति कर तत्सम्बन्धी अनुमोदन सुनिश्चित करेगा।
- विश्वविद्यालय संस्थान से Trust Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित 02 माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध करायेगा साथ ही अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता

प्रस्तावों में भी तथ्यों का उल्लेख किया जाए।

- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Signed by Ravinath Raman
Date: 14-06-2023 12:48:24

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव

संख्या : 365(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A11-131(4)/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

– ह0 -

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।